

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHAROA) in the Chair.]

**THE ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL, 1969**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH):  
Madam, I beg to move :

"That the Bill to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958, for a further period be taken into consideration."

The Bill seeks to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958, in the territory of Nagaland for a further period of three years. The Regulation is only an enabling one and empowers the Governor of Nagaland to declare the whole or any part of Nagaland as a disturbed area if, in his opinion, disturbed or dangerous conditions prevailing in the area necessitate the use of Armed Forces in aid of Civil power. It is only when such a declaration is made by the Governor in the official gazette that the substantive provisions of the Regulation come into force.

The Regulation confers special powers on Commissioned Officers, Warrant Officers and Non-Commissioned Officers not below the rank of Havildar, of the Armed Forces, to enable them to aid effectively the Civil power in the disturbed areas of Nagaland.

The Regulation was initially in force for a period of one year in Kohima and Mokokchung districts of the then Naga Hills-Tuensang Area. It was extended from time to time having regard to the circumstances prevailing in those areas. After the formation of the State of Nagaland on the 1st December, 1963 the Regulation was continued by Parliamentary Legislation. In 1966, while extending the duration of the Regulation for another year, it was made applicable also to Tuensang District of Nagaland, thus covering the entire State. The Regulation will cease to have effect on the 5th April, 1969. The object of the Bill is to continue the Regulation in the entire State of Nagaland for a further period of three years from the 5th April, 1969 to the 4th

April, 1972, as the stage for dispensing with it has not yet been reached.

On this occasion the extension is sought for three years as the unusual situation obtaining in Nagaland specially the collusion of the Underground with China and Pakistan, can bring about circumstances which might require the exercise of the extraordinary powers conferred by the Regulation on the Armed Forces, on a long term basis to deal with the unlawful activities of the Underground.

A heartening feature of the situation in Nagaland has been the overwhelming support won by the ruling Naga Nationalist Organisation at the polls. This party supports the Agreement reached with the Naga leaders in 1960 which brought the State of Nagaland into being and rejects the demands and the methods of the Underground. In giving their votes to this party, the people have rejected the violent creed of the Underground and have reiterated their faith in the lawfully constituted Government of Nagaland. The Government of India will do everything in their power to lend weight to the Government of Nagaland in their effort to restore peaceful conditions in Nagaland. The proposed Bill is a measure in that direction.

Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

*The question was proposed.*

श्री निरंजन वर्मा ( मध्य प्रदेश ) :  
श्रीमान् हमारे मित्र ने इस माध्याह्न से संशोधन के लिये अभी कुछ धाराओं में परिवर्तन का सुझाव रखा है। हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे मित्र जब यह बात कहते हैं कि नागालैण्ड की स्थिति में सुधार होता चला जा रहा है तो यदि उसका सुधार हो रहा है तो एक वर्ष की अवधि तीन वर्ष की अवधि रखने का कोई कारण नहीं है। नागालैण्ड में भारत सरकार की जितनी पालिसी है वह पालिसी प्रारम्भ से ही बिल्कुल सफल तरीके पर चालू की जा रही है और उसका कारण यह है कि 1958 में जब यह कानून बना इस कानून के द्वारा यह सम्भावना व्यक्त की गई थी कि एक वर्ष के भीतर ही हम ऐसे समस्त

## [श्री निरंजन वर्मा]

मिलिटरी के अधिकारियों, जिनका दरजा हवलदार से ऊपर का होगा, उन लोगों के लिये और वहाँ के सिविल अधिकारियों के लिये भी जब कभी आवश्यकता हो सहायता दे और उस सहायता से वहाँ के उपद्रवों को दबायेंगे। भारत शासन ने ऐसी आशा की थी कि एक वर्ष के भीतर वह उपद्रवों को दबा देगी। 1958 के पश्चात् फिर एक वर्ष के लिये इसको लागू किया, फिर एक वर्ष के लिये लागू किया और तब से लेकर आज तक बराबर एक-एक वर्ष के लिये इसको बढ़ाते चले गये और उनको आशा थी कि एक-एक वर्ष बढ़ाने के बाद वहाँ की उपद्रवप्रस्त स्थिति में अन्तर आ जायेगा और वहाँ के नागा माधारण तौर से भारत सरकार की इस राय को मान लेंगे और अपने आप को हिन्दुस्तान का एक भाग मानने को तैयार हो जायेंगे। लेकिन बड़ा दुःख है कि हमारे मंत्री जी ने आज जो संशोधन रखा है उसमें उनको निराशा मालूम हुई। 1958 से लेकर 1968 तक और इस अवधि की सीमा जब 5 अप्रैल को समाप्त हो रही है, तब तक तो आपका यह खयाल था कि केवल एक-एक वर्ष बढ़ाते रहने पर सम्भवतः स्थिति आपके काबू में आ जायेगी इसलिये एक वर्ष से ज्यादा इस कानून की अवधि में आपने कानून में संशोधन नहीं रखा था। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं वहाँ की हालत में सुधार हो रहा है और वहाँ पर जो चुनाव हुये उन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ के लोगों ने अब कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत रहना स्वीकार कर लिया है तो आपको इसको उसी तरह से एक वर्ष के लिये ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिये था। लेकिन श्रीमन्, स्थिति बिल्कुल विपरीत है और विपरीत स्थिति इसलिये है कि हमारे मित्रों ने जो वहाँ पर एक जायजा लिया था, जो वहाँ के बारे में एक प्रकार की भविष्यवाणी समझ रखी थी कि वहाँ पर केवल एक वर्ष के भीतर

ही सारा सुधार हो जायेगा वह गलत निकली और वह इसलिये गलत निकली कि केवल नागालैण्ड का प्रश्न नहीं है, भारत सरकार की जो गलत पानिसी रही है, उनका अन्दाज जो रहा है और उनकी जो एक समझने की शक्ति रही है वह थोड़ा सी बातों पर आश्रित है, और वे यह समझते हैं कि उन बातों से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिये वे पुरान्पुरा इसका यत्न करेंगे कि वहाँ पर ईसाई जितने हैं उन ईसाइयों को मनाया जाये और ईसाई किसी भी तरह से अपने काबू में आते नहीं हैं। वहाँ पर ईसाइयों के अतिरिक्त जो दूसरी जातियाँ हैं उनको आप अपने विश्वास में किसी तरह से लेने को तैयार नहीं हैं। रानी गुडालो जो वहाँ पर एक बहुमत दल की रानी है वह कई बार असंदिग्ध शब्दों में कह चुकी है कि भारत सरकार के प्रति उसकी निष्ठा है और वह उसको सहायता देने को तैयार है। लेकिन हमारी सरकार रानी गुडालो की बात मानने को तैयार नहीं है और जहाँ तक सम्भव है वहाँ तक फिजो की बात मानने को तैयार है और फिजो को इसके लिये उसने बारम्बार निमन्त्रण दिया। जब फिजो ने बिल्कुल ही राष्ट्रवादी होने से इन्कार कर दिया तब हमारी सरकार को आँखें खुलीं और अब फिजो साहब के चक्कर से हमारी सरकार थोड़ा बहुत छूट रहा है। "थोड़ा बहुत" शब्द इसलिये हमने कहा कि पूर्णतः अब भी वह छूटी नहीं है। आज भी हमारी सरकार के सामने शांतिवार्ता का एक टुकड़ा फेंक दिया जाये तो सरकार दो चार सालों के लिये फिर उलझ जायगी चाहे वहाँ पर कितने ही निरोह लोगों को हत्या होती रहे।

श्रीमन्, वहाँ पर नागा लोगों के तीन प्रकार के दमन चल रहे हैं। एक प्रकार का दमन तो सिविल अधिकारियों के ऊपर है। भारतवर्ष के जो सिविल अधिकारी वहाँ जाते हैं उनको किसी प्रकार से वे सहन करने को तैयार नहीं हैं और उनकी बातें सुनने को

तैयार नहीं हैं। दूसरे प्रकार का जो वहां पर दमन चल रहा है वह मिलिट्री के लोगों पर चल रहा है। मिलिट्री के बड़े-बड़े अफसर जब कहीं बाहर निकल कर के जाते हैं तो छापा-मार उनपर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के पश्चात् जो उनकी सहायता करते हैं उन सहायता करने वाले गांव वालों के मकानों में भी आग लगाते हुये जहाँ से मिलता है वहाँ से, पाकिस्तान से या चीन से हथियार लेकर के निःशस्त्र लोगों पर आक्रमण कर देते हैं। आज से पाँच छः दिन पहले भारतीय सेना का एक बड़ा मेजर वहाँ पर मारा गया और हमारी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस मेजर के साथ में कितने लोग मारे गये, वे नागरिक मारे गये या मिलिट्री के मारे गये, और कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति ही प्रकाशित कर दे और चुपचाप केवल यह कह दिया कि विवरण की प्रतीक्षा है। तो आज भी वहाँ पर यह हालत है और किसी प्रकार से नागा लोग अपने बस में नहीं आ रहे हैं। मिजो और नागा, इन दोनों जातियों के अतिरिक्त और भी जातियाँ जो छोटी मोटी वहाँ पर हैं वे भी इन लोगों से प्रोत्साहित हो कर के भारत सरकार की इस खोखली नीति के कारण वहाँ का जो क्षेत्र है उनको उपद्रवग्रस्त बना रही है।

तो इस संदर्भ में जो यह बिल आया है इसमें हम मंत्री महोदय से पाँच प्रकार के आश्वासन चाहते हैं। अगर भारत सरकार की पालिसी अच्छी है, अगर आप अपने आप को बहुत सबल मानते हैं तो आप को उपद्रव करने वालों में आगे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिये। आज से दो दिन पहले होम मिनिस्टर श्री चट्टोपाय्य साहब ने लोक सभा में कहा कि अब हम मिजो लोगों के साथ किसी भी शर्त पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े जोर के साथ यह बात कही, लेकिन अगर कहीं जय प्रकाश नारायण जी बीच में आ गये तो शायद वे फिर झुक जायें और

झुकने के बाद फिर उनका चरणों पर गिर जायें। तो यह तो ढूँली पालिसी है इसको हम लोग ही नहीं, नागा लोग भी मनुष्य हैं, वे भी बुद्धि रखते हैं और वे भी समझते हैं कि जब तक कि भारत सरकार दबी हुई जवान से बोलती है या उसकी ढूँली नीति है तब तक इन लोगों को दबाते जाओ, इनकी विशाल सेना हमारा कुछ करने वाली नहीं है। यह उन लोगों के मस्तिष्क की मनोवृत्ति है कि इनको उलझन में रख कर के उस दिन की प्रतीक्षा करो कि कभी शायद पाकिस्तान और चीन किसी प्रकार से सीमा पर आक्रमण कर दें और उस समय हम उनके साथ मिल करके नागालैण्ड की स्वतन्त्रता के लिये कोई आन्दोलन की शुरुआत कर दें। इस लिये मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार पाँच बातों का आश्वासन दे। पहली बात यह है कि जो विद्रोही मिजों या नागा लोग हैं उनमें किसी प्रकार से शांतिवार्ता नहीं होनी चाहिये। अगर वे शांति के लिये दब जायें और आप के सामने आयें तब भी उनसे दरवाजा बन्द कर के बेखुशी में बात करनी चाहिये। ऐसे लोग जो दस वर्षों से बराबर भारत सरकार के विशाल संयंत्र को परेशान करते चले आ रहे हैं, उन लोगों से कोई किसी प्रकार की बातचीत का दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिये कि तथाकथित कुछ लोग जिन के मस्तिष्क विकृत हो गये हैं, जो शांतिवार्ता की रट लगाते रहते हैं, उनका शांतिवार्ता के नाम पर वहाँ पर पीस मिशन सरीखा कोई किसी प्रकार का मिशन नहीं जाने दिया जाय क्योंकि कुछ तथाकथित ऐसे चार छः लोग हैं जो राजनीति में संन्यास लेने की बात करते हैं और फिर राजनीति में घुसते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भारत सरकार का ऐसे राजनीतिक नेता यदि इशारा पा जायें तो फिर वे लोग वहाँ पर जायें और वहाँ में वे फिर लंदन की यात्रा

### [श्री निरंजन वर्मा]

करें और लंदन की यात्रा और कोहिमा की यात्रा, ये दोनों यात्राएं मिल कर के शांति-वार्ता में गतिरोध उत्पन्न करेंगी। तो दूसरा आश्वासन क्या आप यह देने को तैयार हैं कि अब आगे चल कर के जब तक यह उप-द्रवग्रस्त इलाका है और इन लोगों का मस्तिष्क उपद्रव करने पर तुला हुआ है तब तक शांतिपूर्वक वार्ता के लिये किसी पीस मिशन इत्यादि को वहां पर नहीं जाने दिया जायेगा।

तीसरी बात यह है कि क्या वहां पर मुधारवादी कार्यक्रमों को अपनाने को आप तैयार हैं या नहीं। उदाहरण के लिये हमने एक दिन कहा कि नागा प्रदेश भारत के भूभाग का वह प्रदेश है जहां पर साक्षरता केवल 12 प्रतिशत है, तो वहां पर आपने साक्षरता बढ़ाने के लिये कोई यत्न किया या नहीं। क्या आपने वहां पर अस्पतालों के निर्माण के लिये और स्कूलों के निर्माण के लिये कोई यत्न किया या नहीं। इसके साथ जो वहां पर स्कूलों में शिक्षा की पद्धति है उसमें भारत राष्ट्र की पद्धति, भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति को अपनाया जाये इसके लिये आपने कोई यत्न किया या आप का दृष्टिकोण केवल यही है कि विदेशी मिशनरी जो वहां पर जाल फैलाये बैठे हैं वे अपनी संस्कृति वहां पर पनपाते रहें। तो क्या आप यह गारंटी देने को तैयार हैं कि आप अपने मुधारवादी कार्यक्रम वहां पर अपनायेंगे।

चौथी बात यह है कि जितने वहां पर ऊधम करने वाले हैं उनको किसी प्रकार ने धमा नहीं करना चाहिये। जितने उपद्रव करने वाले हैं, जो आतंक में विश्वास करने हैं, जो बम फेंकते हैं, जो निरीह लोगों के मकानों में आग लगाते हैं और जो भारत सरकार की देखादेखी अपना अलग टेक्नेशन लगा कर के वहाँ की स्थिति को बिगाड़ने हैं, वे कभी भी धमा के योग्य नहीं हों।

सकते। उदाहरण के लिये, आप को नाक के नीचे वहीं पर उनका झंडा फहराता है और आप का जहां पर आफिस है वहीं पर उनके गुप्त आफिस की बैठक होती है, वहीं पर उनकी सारी कार्रवाई होती है। ऐसे लोगों को पकड़ करके जल्दी से जल्दी आप उनको कठोर दण्ड देंगे, इस तरह का आश्वासन देने को आप तैयार हैं या नहीं।

और पांचवीं बात यह है कि वहां नागालैण्ड को आप एक नया काश्मीर न बनाएं, वहां सबको जाने की आज्ञा दें, वहां पर एक प्रकार का व्यवहार करने की आज्ञा दें, वहां पर जाकर बसने की आज्ञा दें, वहां के लोग जिन प्रकार जमीन को ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, सम्पत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उसी प्रकार भारत के शेष लोगों के लिए वहां पर मुविधा हो, और सब लोगों के लिये वहां पर जाने की, स्वतन्त्रता से घूमने की, अपनी बात को कहने की, अपने धर्म का प्रचार करने की और सम्पत्ति को हस्तगत करने की सब बातें अगर आप करने को तैयार हैं तो श्रीमान् वहां की समस्या सुलझ सकती हैं। अगर आप यह करने को तैयार नहीं हैं तो तीन वर्ष के लिये आपने संशोधन रखा है, तीन वर्ष के बाद 1972 में आप 10 वर्ष के लिए संशोधन लाएंगे लेकिन आज उससे कुछ होने वाला नहीं हम समझते हैं कि बुद्धिमान मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस प्रकार का आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

**श्री शीतभद्र याजी (बिहार) :** उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की तार्किकता करते हुए, जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ता वर्मा जी ने सरकार को कुछ सलाह दी है, यह कहूंगा कि सरकार की नागालैण्ड के मूलाधिक जो पालिसी रही है, वह सिर्फ गलत ही नहीं रही है बल्कि वीकनीड रही है, कमजोर रही है और दबू पालिसी रही है जिसकी वजह से कितने ही लोग मर गए और कितने ही लोगों को तकलीफ हुई है। गांव के गांव जो भारत के साथ थे, चूंकि हमने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, उनको बचाया

नहीं, इसलिए सब होस्टाइल्स के साथ हो गए, विद्रोहियों के साथ हो गए। बदकिस्मती तो यह है कि नागालैण्ड का कोहिमा जिला, मोकोकचुंग और त्वेनसांग का एरिया, मिजो, मनीपुर का चार सबडिवीजन और आसाम सब एक राजनैतिक ज्वालामुखी पहाड़ पर बैठा हुआ है। बदकिस्मती यह भी है कि अमरीका, ब्रिटेन, चाइना और पाकिस्तान इन चारों का मिलन इसी जोन में जाकर हो गया है। यह ठीक है कि हम साल पर साल अधिकार देते हैं लेकिन जिस तरह से जो होस्टाइल नागा हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए वह नहीं होती क्योंकि केन्द्र से उनको छूट मिल जाती है। हम जानते हैं क्योंकि हर महीने में हम नागालैण्ड जाते हैं, कोई महीना नहीं होता जब हम नागालैण्ड, त्रिपुरा और मनीपुर न जाते हों।

कल हमारे भार्गव जी ने बताया कि अमरीका के जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं उनका क्या ध्येय है और वे क्या करना चाहते हैं भारत में, उसका उन्होंने एक खाका दिया। आज होल ईस्टर्न जोन में, नागालैण्ड में, मनीपुर में, मिजो में, आसाम में अमरीका के इशारे पर, ब्रिटेन के इशारे पर, चाइना के इशारे पर और पाकिस्तान के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान बना, उसी तरह से एक क्रिश्चियन स्टेट इंडिया के बाहर बनाने का इनका बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोग्राम है, उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारी सरकार का जो इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट है मैं नहीं जानता वह कैसे फंक्शन करता है। हमारे खुद के काम ऐसे हैं—चाहे पंडित जी की गलती हो या किसी की लेकिन गलती आपने की—कि मालूम होता है कि नागालैण्ड विदेश में हो क्योंकि आपने उसे एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री में रखा है, होम मिनिस्ट्री में नहीं रखा। जो नागा आपके साथ हैं उनमें से कुछ यह भी कहते हैं कि हम नागालैण्ड के हैं जैसे वह भारत का हिस्सा न हो। आप महाभारत के

वक्त से देखिए, दीमापुर में भीम गए, अर्जुन गए बराबर वह हिन्दुस्तान का हिस्सा रहा, आसाम का एक जिला रहा। जहाँ आपने उसे अलग राज्य कर दिया वे उसको हिन्दुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं। सब विदेशियों का कुचक्र है और यह आपकी ढिलाई और आपकी नकनीयती की वजह से हो रहा है। दुनिया को दिखाने के लिये हम बड़े प्रेम और मुहब्बत से काम लेते हैं। प्रेम और मुहब्बत ठीक है अगर इनसानों से सामना हो। चीन के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर यदि वे इनसान हैवान बन जायें तो फिर हैवान के साथ किस तरह व्यवहार होना चाहिए? हमारे आदमियों को वे ले जाते हैं तो बोटी बोटी काट-काट कर मारते हैं, इनसान की तरह नहीं मारते हैं। यह जो अधिकार आपको मिल रहे हैं, यह कुछ अधिकार नहीं हैं, ये तो मामूली अधिकार हैं।

ठीक है इलेक्शन आए, इलेक्शन में मौजूदा नागालैण्ड सरकार की जीत हुई है, मतभेद हुए हैं लेकिन जो होस्टाइल नागा हैं उनका एक पैकट हुआ है चीन के साथ पीकिंग में कि अभी छुटपुट काम करते रहे और जब उधर से चीन की चढ़ाई होगी वे भी काम शुरू करेंगे। इसलिए अभी वे चुप हैं लेकिन उनकी साजिश चल रही है। नागालैण्ड में ही नहीं, मनीपुर का आधा हिस्सा जो माओ सबडिवीजन और उखरूल तथा तामे लैंग सब डिवीजन आदि हैं वह सब विद्रोहियों से भरा हुआ है। आपने गलती की कि इन तीन सब डिवीजनों को, मनीपुर की सरकार से पूछे बिना, उसमें शामिल कर दिया, अब सब होस्टाइल्स की एक्टिविटीज मनीपुर में हो रही है। वे बर्मा आते जाते रहते हैं। खुशी की बात है कि बर्मा की सरकार आपकी मदद कर रही है लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। यह जरूर है कि जो मौजूदा सरकार है नागालैण्ड की उसका हमें समर्थन करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए।

[ श्री शीलभद्र याजी ]

श्री बर्मा ने आपको पांच सलाहें दीं, मैं केवल एक सलाह देता हूँ कि जो होस्टाइल्स हैं उनको मारिए नहीं, पीटिए नहीं, एरेस्ट करके नागालैण्ड से निकाल कर किसी दूसरे प्रान्त में जाकर खेती कराइए, दूसरे मुल्कों में ऐसा हुआ है।

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम निर्देशित):  
पता कैसे लगेगा कि होस्टाइल कौन है ?

श्री शीलभद्र याजी : आजकल जितने अन्डरग्राउन्ड थे वे सब एक्व-ग्राउन्ड हो गए हैं। हम आपको बता दूँगे, वे आर्म लेकर चलते हैं, बन्दूक लेकर चलते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि अब सीज़फायर है। ठीक है उन नागा विद्रोहियों में अब विभेद हो गया है और इस इन्क्वेशन के वक्त ऐसा बताया गया है। उनमें भी कुछ लोग यह समझते थे कि चीन के साथ समझौता नहीं होगा, चीन के साथ समझौता होने से उनमें विभेद हो गया है। यदि विदेशी लोग बीच में नहीं पड़ते तो शांति हो जाती लेकिन चूँकि पाकिस्तान के ढाका में, चटगांव में, सिलहट में उनकी सैनिक ट्रेनिंग होती है, तथा चीन के पीकिंग में ट्रेनिंग होती है, इसलिए शांति नहीं हो सकती। यह मामला 18 वर्ष से चला आ रहा है, कितने वर्ष और चलेगा। इस नुकते निगाह से आपको काम करना पड़ेगा। विदेशी ईसाई मिशनरी लोग बांशिंगटन में, लंदन में बैठ-बैठ कर योजनाएं बनाते हैं। फिजो बांशिंगटन जाता है, लंदन जाता है। हमने जिन्ना को कायदेआजम जिन्ना बनाया और फिर वह गांधी जी को पूछता नहीं था और आरामकुर्सी पर बैठ कर उसने देश का विभाजन करवाया, सबको कम्युनल माइन्डेड बनाया। वही गड़बड़ ईस्टर्न जोन में की जा रही है। इन पादरियों को आपने क्या क्या फ्रीडम दी है, करोड़ों रुपए लाकर, सबको होस्टाइल बनाकर अब क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। एक मिजो में बनने जा रही है, एक आसाम में बनने जा रही है,

इसके बाद कहां कहां बनेगी। मणिपुर के सबडिवीजन जो पहाड़ी हैं जिन्हें नागालैण्ड के लोग नागालैण्ड में लाना चाहते हैं। यह लड़ाई बन्द नहीं होने वाली है, तीन वर्ष के बाद यहां फिर आना है, तब तक यह बनी रहेगी जब तक हमारा चीन से झगड़ा है, पाकिस्तान से झगड़ा है। तो पालियामेंट का फर्ज हो जाता है, कर्त्तव्य हो जाता है कि अपनी सरकार को उनको दवाने के लिए अधिकार दे। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि होस्टाइल सेना आकर खुले आम परेड करे और हमारी सेना बैठी रहे क्योंकि दिल्ली से हुक्म नहीं जाता कि कोई कार्रवाई करे। मुझको यह कहने में शर्म आती है कि यदि किसी सैनिक ने एक्शन लिया तो उसका कोर्ट मार्शल हुआ है। यह सब चीजें हो रही हैं यह वैसे ही है जैसे मिस्टर जिन्ना को कायदेआजम जिन्ना बना दिया। फिजो के बारे में और रेवेरेड माइकेल स्काट के बारे में जब हमने बयान दिए तो लोग विगड़े, जय प्रकाश नारायण के बारे में इसी हाउस में मैंने क्या कहा था और आप लोग विगड़ गए थे। जितने फ्रस्ट्रेटेड पोलिटिशियन्स सर्वोदयवादी हैं, बम्बई में रहते हैं वे गड़बड़ करते हैं—मनीपुर की सरकार को बधाई देता है—वे लोग पीस मिशन के नाम पर मनीपुर जाना चाहते थे लेकिन वहां की सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि ये वहां जाते हैं और हमारी सरकार को गाली देते हैं, कहते हैं कि एक्सेस हुई है 5 P. M.

सरकार की तरफ से, मिलटरी को सीज़ फायर तोड़ने का वे दोष देते हैं। तो उन लोगों में ये पीस मिशन वाले जाकर यह रिपोर्ट करते हैं। इसलिये उन लोगों को वहां घुसने नहीं दीजिए और जो लोग चाइना से रिटर्न होकर आए हैं उन पर आप बड़ा निगरानी कीजिए, उनको वहां से निकालिए। बर्मा जी ने ठीक कहा, जब तक वह असम में था तब तक सब लोग बस सकते थे जब नागालैण्ड हो गया अब कोई नहीं बस सकता है। तो जिस तरह से जम्मू और काश्मीर में है,

नेफ़ का क्षेत्रफल पश्चिमी बंगाल के बराबर है वहाँ भी बीमारी आने वाली है, नेफ़ा में 2 लाख या तीन लाख की आबादी है, पश्चिमी बंगाल के बराबर उसका क्षेत्रफल है, तो वहाँ लोगों को बसाइये और बसने दीजिए, नागालैण्ड में बसाइये। इसी तरह से यहाँ भी जो आप विशेषाधिकार दे रहे हैं उसका प्रयोग कीजिये।

**उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) :** याजी जी आप अब खत्म कीजिये।

**श्री शीलभद्र याजी :** अभी खत्म कर रहा हूँ। तो जितना हम विशेषाधिकार दे रहे हैं, आप एक अधिकार यह भी देना चाहते हैं जो यह रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं, कोई यहाँ नहीं बस सकता। तो फिर संस्कृति कैसे एक हो सकती है। वह कहते हैं भारत की संस्कृति से हमारा मतलब नहीं है। अगर ऐसा है और वह अपने को अलग संस्कृति के कहने लग जायें तो मिलन कैसे होगा। वह गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। और होता क्या है? लाखों करोड़ों रुपया उनकी मदद के लिये आज वाशिंगटन से और लंदन से आता है। उनको दबाइये और जितने अधिकार आप नागा होस्टाइल्स को दबाने के लिये मांगें उनको लेकर उनको निकाल बाहर कीजिए। इस मौजूदा नागालैण्ड सरकार का जनता ने चुन लिया है इसलिए उन्हीं को मान कर उनको सब मदद दीजिये।

मैं बहुत सी बात आपके इस हाऊस के सामने कहना चाहता था लेकिन मैं फिर बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उनके बारे में बोलूंगा कि किस तरह से वह हमारे लोगों से चन्दा लेते हैं, हमारे ठेकेदारों से लेते हैं और लोग स्वेच्छापूर्वक उसको देते हैं।

मैं इन सब का वर्णन नहीं करना चाहता हाऊस में . . .

**एम. पी. श्री महेश्वर नाथ कौल :** कह तो दिया है।

**श्री शीलभद्र याजी :** अभी बहुत सी बातें रह गई हैं, कौन कौन देते हैं। बड़ा भंडाफोड़ हो जायेगा जो देश की सुरक्षा के लिये अच्छा नहीं होगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) :** याजी जी, हाऊस में नहीं बोलना है तो अब खत्म कीजिए।

**श्री शीलभद्र याजी :** लेकिन एक चीज जरूर कहता हूँ कि आप अपने इन्टेलिजेंस डिपार्ट-मेंट को और अपनी फौज जो रखे हुए हैं उनको सचेत कीजिए। जिस तरह से अधिकार आप ले रहे हैं वह अधिकार हम देना चाहते हैं लेकिन अफसोस यह है कि इनके बावजूद काम कुछ होता नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, हमारे ब्रिज टूट रहे हैं। इसलिये हम आपको अधिकार तो देना चाहते हैं, लेकिन उन अधिकारों का ठीक तरह से प्रयोग होना चाहिये। आज इस तरह का चक्कर है, जो वाशिंगटन से, ब्रिटेन से, पीकिंग से, रावल-पिंडी चारों का जो मिलन हुआ है उस चक्कर को तोड़ने के लिये आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th February, 1969.